निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 936) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

———

अधिसूचना

4 अगस्त 2015

सं० वि०स०वि०-17/2015- 2899 / वि०स०— ''बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2015'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 04 अगस्त, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव ।

बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2015

[वि०स०वि०-13/2015]

प्रस्तावनाः–बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] तथा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम,1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) और बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 की वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु विधेयक।

भारत–गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और पात्रता मानदंड।– (1) यह अधिनियम बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा एवं अधिसूचना निर्गमन की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगा।

(4) यह ऐसे सभी विवादों पर लागू होगा जो विधि के अधीन वित्तीय वर्ष 2010–11 तक की कार्यवाहियों से उत्पन्न हों एवं पक्षकार द्वारा विवाद के समाधान हेतु आवेदन अधिनियम की समाप्ति के पन्द्रह दिन पूर्व तक दिया गया हो एवं समाधान–राशि का भुगतान अधिनियम के लागू रहने की अवधि तक किया गया हो।

अध्याय I
प्रारम्भिक।

2. परिभाषाएं।– इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''स्वीकृत कर'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा दाखिल विवरणी में स्वीकार की गई देय कर की राशि;

(ख) ''अपील'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 9 या बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त और क्षेत्रीय अधिकारिता वाले वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा वाणिज्य–कर उपायुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित अपील;

(ग) ''निर्धारित कर'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन कर–निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण आदेश के अधीन चुकाया जाने वाला विनिश्चित कर ;

(घ) ''विवाद'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पारित किसी आदेश से उत्पन्न और, यथा स्थिति, निम्नलिखित के समक्ष लम्बित अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रेफेरेन्स, रिट पिटीशन अथवा विशेष इजाजत से याचिका (एस०एल०पी०):–

(i) वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा वाणिज्य–कर उपायुक्त (अपील);

(ii) वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन);

(iii) वाणिज्य–कर आयुक्त;

(iv) वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण;

(v) उच्च न्यायालय ;

(vi) भारत का सर्वोच्च न्यायालय ;

और इसमें शामिल हैं–

(1) विधि के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कर, सूद अथवा शास्ति या,

(2) विधि के अधीन अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ किये गये अथवा के समक्ष लम्बित कर, सूद अथवा शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही;

(ङ.) किसी विवाद के संबंध में ''विवादित राशि'' से अभिप्रेत है कोई कर, सूद अथवा शास्ति की राशि जो पक्षकार द्वारा देयकर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है;

(च) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रपत्र;

(छ) ''विधि'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम का भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] , बिहार

मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) और बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007;

(ज) ''पक्षकार'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद के समाधान हेतु आवेदन दाखिल करता हो;

(झ)''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''विहित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है–

(i) किसी अपील के सम्बंध में वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त(अपील) अथवा वाणिज्य–कर उपायुक्त (अपील) जिनके समक्ष अपील लम्बित है,

(ii) आयुक्त अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित कोई पुनरीक्षण अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट पीटीशन अथवा रेफेरेन्स अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) के मामले में वाणिज्य–कर आयुक्त;

(iii) अन्य किसी मामले में संबंधित प्रमंडल के प्रभारी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

(ट) ''पुनरीक्षण'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन, जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग I की धारा 9 या बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य–कर आयुक्त अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित हो;

(ठ) ''समाधान–राशि'' से अभिप्रेत है वह राशि जिसका भुगतान करने पर विवाद का समाधान हो जायेगा;

(ड) ''न्यायाधिकरण'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग I की धारा 8 या बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9 के अधीन गठित न्यायाधिकरण;

(ढ़) ''विवरणीत आवर्त्त'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा विवरणी में अभिलिखित किया गया सकल आवर्त्त;

(ण) अन्य अभिव्यक्तियों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, अर्थ होंगे जो विधि के अधीन क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

अध्याय II
विवाद का समाधान

3. समाधान–राशि। – (1) जहाँ विवाद वित्तीय वर्ष 2004–05 तक की कार्यवाहियों से संबंधित हों वहाँ समाधान–राशि तालिका– I के स्तम्भ 2 में उल्लिखित मामलों के लिए उनके सामने स्तम्भ 3 या 4 या 5 में उल्लेखित दर के अनुसार एवं जहाँ विवाद वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक की कार्यवाहियों से संबंधित हैं वहाँ समाधान– राशि निम्न तालिका II के अनुसार होगी :–

तालिका– I

क्र० सं०	विवादित बकाया की राशि	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के पश्चात् किन्तु दो माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से दो माह के पश्चात् इस अधिनियम की समाप्ति तक भुगतान करने पर
1	2	3	4	5
1.	बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग I के अधीन दावा के समर्थन में प्रपत्र IX सी अथवा प्रपत्र IX के दाखिल नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न कोई विवाद ।	विवादित कर की राशि का 10 प्रतिशत।	विवादित कर की राशि का 10 प्रतिशत।	विवादित कर की राशि का 10 प्रतिशत।
2.	जहाँ विवाद में, क्रमांक 1 में उल्लेखित के सिवाय, बकाया कर– राशि रूपये 10,00,000 (दस लाख) से अनधिक हो,	विवादित बकाया कर–राशि का तेईस प्रतिशत	विवादित बकाया कर– राशि का चौबीस प्रतिशत	विवादित बकाया कर–राशि का पच्चीस प्रतिशत।

क्र० सं०	विवादित बकाया की राशि	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के पश्चात् किन्तु दो माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से दो माह के पश्चात् इस अधिनियम की समाप्ति तक भुगतान करने पर
1	2	3	4	5
3.	जहाँ विवाद में, क्रमांक 1 में उल्लेखित के सिवाय, बकाया कर–राशि रू० 10,00,000 (दस लाख) से अधिक परन्तु 1,00,00,000 (एक करोड़) से अनधिक हो,	रू० 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का तीस प्रतिशत।	रू० 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का इकतीस प्रतिशत।	रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का बत्तीस प्रतिशत।
4.	जहाँ विवाद में, क्रमांक 1 में उल्लेखित के सिवाय, बकाया कर–राशि रू० 1,00,00,000 (एक करोड़) से अधिक हो,	रू० 29,30,000/- (उन्तीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का अड़तीस प्रतिशत।	रू० 30,30,000/- (तीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का उनचालीस प्रतिशत।	रू० 31,30,000/- (इकतीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का चालीस प्रतिशत।
5.	विधि के अधीन किसी आदेश से अधिरोपित शास्ति अथवा सूद से उत्पन्न विवाद	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।

तालिका– II

क्र० सं०	विवादित बकाया की राशि	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के पश्चात् किन्तु दो माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से दो माह के पश्चात् इस अधिनियम की समाप्ति तक भुगतान करने पर
1	2	3	4	5
1.	रूपये 10,00,000 (दस लाख) से अनधिक विवादित बकाया कर राशि के लिए।	विवादित बकाया कर राशि का अठाईस प्रतिशत	विवादित बकाया कर राशि का उन्तीस प्रतिशत	विवादित बकाया कर राशि का तीस प्रतिशत।
2.	रू० 10,00,000 (दस लाख) से अधिक परन्तु 1,00,00,000 (एक करोड़) से अनधिक विवादित बकाया कर राशि के लिए।	रू० 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का पैंतीस प्रतिशत।	रू० 2,90,000/- (दो लाख नब्बे हजार) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का छत्तीस प्रतिशत।	रू० 3,00,000/- (तीन लाख) जोड़ 10,00,000/- (दस लाख) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का सैंतीस प्रतिशत।

क्र० सं०	विवादित बकाया की राशि	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से एक माह के पश्चात् किन्तु दो माह के भीतर भुगतान करने पर	इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से दो माह के पश्चात् इस अधिनियम की समाप्ति तक भुगतान करने पर
1	2	3	4	5
3.	रू० 1,00,00,000 (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि के लिए।	रू० 34,30,000/- (चौतीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का तैतालिस प्रतिशत।	रू० 35,30,000/- (पैंतीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का चवालिस प्रतिशत।	रू० 36,30,000/- (छत्तीस लाख तीस हजार) जोड़ 1,00,00,000/- (एक करोड़) से अधिक विवादित बकाया कर राशि का पैतालिस प्रतिशत।
4.	विधि के अधीन किसी आदेश से अधिरोपित शास्ति अथवा सूद से उत्पन्न विवाद	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।	विवादित, यथास्थिति, शास्ति अथवा सूद की राशि का दस प्रतिशत।

स्पष्टीकरण I – समाधान–राशि में स्वीकृत कर का भुगतान शामिल नहीं होगा एवं पक्षकार स्वीकृत कर की संपूर्ण राशि जमा करेगा।

स्पष्टीकरण II – विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि इस समाधान योजना के आरंभ होने के पूर्व, विवादित राशि के मद में समाधान राशि के समतुल्य या अधिक राशि का भुगतान पहले ही कर दिया हो, तो उक्त राशि समाधान–राशि की मानी जायेगी किन्तु समाधान–राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण III – विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि इस समाधान योजना के आरंभ होने के पूर्व, किसी विवादित राशि को जमा कर दिया हो तो उक्त राशि समाधान–राशि का भुगतान समझी जाएगी एवं पक्षकार को केवल अंतर–राशि का भुगतान करना होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे विवाद का समाधान हो चुका माना जायेगा, जिसके संबंध में उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई है, और उसे किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जारी नहीं रखा जाएगा।

अध्याय III
विवाद के समाधान का तरीका

4. समाधान के लिए आवेदन।– (1) विवाद के समाधान के लिए इच्छुक कोई पक्षकार इस अधिनियम की समाप्ति के पन्द्रह दिन पूर्व तक प्रपत्र सेट- I में अपना आवेदन विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसके साथ

(क) एक सौ रूपये का एडहेसिभ न्यायालय फीस मुद्रांक होगा और इसके साथ विधि के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत माँग–पत्र एवं पक्षकार द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न होगा कि इसमें सन्निहित तथ्य सत्य और सही हैं।

(ख) स्वीकृत कर के भुगतान के समर्थन में कर–भुगतान के साक्ष्य एवं विवरणियों की प्रतियाँ संलग्न किये जाएंगे।

(ग) वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अपील) या वाणिज्य–कर उपायुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित मामलों में दायर अपीलीय आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,

(घ) वाणिज्य–कर आयुक्त के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आवेदन के मामले में पुनरीक्षण आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,

(ड.) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित अपील/पुनरीक्षण आवेदन के मामले में अपील/पुनरीक्षण आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,

(च) उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, यथास्थिति, लम्बित रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन अथवा एस०एल०पी० के मामले में, सम्बंधित रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन अथवा एस०एल०पी० की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,

(2) उक्त आवेदन प्रपत्र प्रावधानित तरीके से स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होगा अथवा फर्म के मामले में फर्म की ओर से प्राधिकृत साझेदार अथवा हिन्दु अविभाजित परिवार के मामले में परिवार का कर्त्ता अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम- 1/1956) के अधीन गठित कम्पनी अथवा किसी विधि के अधीन गठित निगम के मामले में, प्रबंध निदेशक अथवा प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी अथवा सोसाईटी अथवा क्लब अथवा व्यक्तियों के संगठन, अथवा व्यक्ति समूह अथवा सरकारी विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकार के मामले में, प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उसके प्रभारी पदाधिकारी अथवा सभी मामलों में घोषित प्रबंधक द्वारा, आवेदन प्रपत्र प्रावधानित तरीके से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होगाः

परन्तु राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त तीन माह की अवधि को, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक परन्तु तीन माह से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन करनेवाले पक्षकार को विहित प्राधिकारी का कार्यालय प्राप्ति के प्रतीक रूप में प्रपत्र सेट II में एक प्राप्ति–रसीद देगा।

5. आवेदन का निष्पादन।– (1) धारा 4 की उप–धारा (1) की आवश्यकताओं के अनुरूप जबतक आवेदन नहीं होगा तबतक किसी आवेदन पर विहित प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगाः

परन्तु विहित प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के भीतर पक्षकार को धारा 4 की उप–धारा (1) की आवश्यकताओं के अनुरूप आवेदन दाखिल करने का अवसर देगा तथा पक्षकार तदनुरूप एक ''पुनरीक्षित'' आवेदन प्रपत्र सेट I में देगा जिसमें सबसे ऊपर में लाल स्याही से पुनरीक्षित शब्द लिखा होगा;

परन्तु और कि विहित प्राधिकारी तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उक्त सात दिनों की अवधि को उस अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जिसे वह उचित समझें।

(2) यदि पक्षकार उप–धारा (1) के प्रथम परन्तुक में प्रावधानित समय के भीतर अथवा यथास्थिति, द्वितीय परन्तुक में प्रावधानित विस्तारित अवधि के भीतर पुनरीक्षित आवेदन दाखिल करने में विफल रहता है तो विहित पदाधिकारी प्रपत्र सेट III में लिखित आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकृत कर देगा जिसकी प्रति, अस्वीकृति की तिथि से सात दिनों के भीतर, पक्षकार को अग्रसारित की जायेगीः

परन्तु उपर्युक्त अस्वीकृति पक्षकार को नया आवेदन दाखिल करने से वंचित नहीं करेगी।

(3) विहित पदाधिकारी, यथास्थिति, आवेदन अथवा पुनरीक्षित आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उसमें दी गई विशिष्टियों की जांच करेगा अथवा करायेगा।

(4) विहित प्राधिकारी, पक्षकार द्वारा आवेदन प्रपत्र सेट- I में उपलब्ध कराई गई विवादित राशि और समाधान–राशि के परिमाण की जाँच करेगा और यदि ऐसी जाँच में उक्त दोनों राशियाँ सही पायी जाती हैं तो विहित पदाधिकारी ऐसी जाँच के सात दिनों के भीतर पक्षकार को लिखित रूप में समाधान राशि सरकारी कोषागार में जमा करने एवं उप–धारा (6) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रीति से भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति उपलब्ध कराने की सूचना देगाः

परन्तु यदि यथास्थिति आवेदन अथवा पुनरीक्षित आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर पक्षकार को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी जाती है तो विवादित–राशि एवं समाधान–राशि की गणना और समाधान के लिए आवेदन को स्वीकृत समझा जायेगा और पक्षकार उप–धारा (6) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर ऐसी समाधान–राशि जमा करने के लिए अग्रसर होगा।

(5) (क) यदि उप–धारा (4) के अधीन जाँच में विहित प्राधिकारी पाता है कि उपर्युक्त गणना सही नहीं है तो वह प्रपत्र सेट IV में आदेश द्वारा पक्षकार को सूचित करेगा।

(ख) पक्षकार खंड (क) में विनिर्दिष्ट आदेश प्राप्त होने पर खंड (क) के अधीन पारित आदेश के आलोक में समाधान हेतु नया आवेदन दाखिल कर सकेगा।

(6) (क) उप–धारा (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, पक्षकार बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 27 में प्रावधानित रीति से धारा 3 में विनिर्दिष्ट समाधान राशि को सरकारी कोषागार में जमा करेगा।

(ख) पक्षकार उपर्युक्त सम्पूर्ण समाधान–राशि के जमा करने के सात दिनों के भीतर विवाद को वापस लेने के निमित्त आवेदन उचित न्यायालय अथवा प्राधिकार के समक्ष दाखिल करेगा।

स्पष्टीकरण।– इस खंड के प्रयोजनार्थ ''उचित न्यायालय अथवा प्राधिकार'' शब्द से अभिप्रेत है–

(i) अपील के मामले में, वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा वाणिज्य–कर उपायुक्त (अपील);

(ii) वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष लम्बित विविध पुनरीक्षण के मामले में, वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन);

(iii) वाणिज्य–कर आयुक्त के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आवेदन के मामले में, वाणिज्य–कर आयुक्त;

(iv) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आवेदन के मामले में, न्यायाधिकरण;

(v) रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन के मामले में, उच्च न्यायालय; और

(vi) विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

(7) विहित प्राधिकारी उप–धारा (6) के खंड (क) के अनुसार आवश्यक सम्पूर्ण समाधान राशि के जमा करने और उप–धारा (6) के खंड (ख) के अनुसार आवश्यक वापसी आवेदन दाखिल करने के सात दिनों के भीतर, प्रपत्र सेट V में विवाद के समाधान का आदेश करेगा।

(8) उप धारा (7) के अधीन निम्नलिखित मामलों में विवाद समाधान आदेश पारित होने पर–

(i) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आदेश अथवा

(ii) रेफेरेन्स अथवा

(iii) रिट पेटीशन अथवा

(iv) विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पेटीशन)

ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पेटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के रूप में खारिज कर दिये गये है और किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के न्यायादेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पेटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका पक्षकार द्वारा कभी नहीं दखिल की गयी है।

(9) उप–धारा (7) के अधीन समाधान आदेश पारित होने पर, विहित प्राधिकारी–

(क) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण को छोड़कर, अपील अथवा पुनरीक्षण विवाद के समाधान के मामले में, संगत कार्यवाही में, ऐसे समाधान के पूर्ण ब्योरे के साथ इस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा कि विवाद के समाधान हो जाने के आलोक में इस कार्यवाही को चलाने की आवश्यकता नही है;

(ख) इस उपधारा के खंड (क) में विनिर्दिष्ट विवाद अथवा न्यायाधिकरण, किसी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों को छोड़कर, विवाद के समाधान के मामले में, सात दिनों के भीतर समाधान आदेश की सच्ची प्रतिलिपि संबंधित प्राधिकारी को भेजेगा जहाँ ऐसा विवाद लम्बित है, और उक्त आदेश प्राप्त होने पर सम्बंधित प्राधिकारी संगत कार्यवाही में ऐसे समाधान के पूर्ण ब्योरे के साथ इस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा कि विवाद के समाधान हो जाने के आलोक में इस कार्यवाही को चलाने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरणः इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ ''संगत कार्यवाही'' शब्द से अभिप्रेत है विधि के अधीन पारित किसी आदेश से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण पुनर्विलोकन, रेफेरेन्स, रिट पीटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पीटीशन) की कार्यवाही और इसमें किसी विधि अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ और उनके समक्ष लम्बित कर, सूद अथवा शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही शामिल होगी।

प्रपत्र सेट- I

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 के अधीन विवाद के समाधान हेतु आवेदन का प्रपत्र

[देखें धारा 4(1)]

के समक्ष

.....

.....

मैं, ...(पूरा नाम साफ अक्षरों में), पिता .....
...निवास स्थान.....दूरभाष संख्या..... ई–मेल आई०डी०.....
.....व्यवसाय का नाम.....अथवा की ओर से .....(साझेदार फर्म/कम्पनी/ए०ओ०पी०/हिन्दु अविभाजित परिवार) और बिहार वित्त अधिनियम, 1981/बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005/अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जिसकी निबंधन संख्या.....निम्नलिखित वाद के समाधान हेतु अनुरोध करता हूँ :

(क) वाद जहाँ लम्बित है.....

(ख) किये गये कथित दोष से उत्पन्न कार्यवाहियों के ब्योरे निम्नवत् हैं :–

(ग) कर निर्धारण वर्ष.....के संवीक्षा/करनिर्धारण/ पुनर्करनिर्धारण/शास्ति या सूद अधिरोपण से उत्पन्न मांग पत्र जो मुझे/हमलोगों पर ..... (प्राधिकारी का नाम) के द्वारा तामिल कराया

गया है, असंगत हैं और ऐसे संवीक्षा/कर निर्धारण/पुनर्करनिर्धारण/शास्ति या सूद अधिरोपण आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत कर/निर्धारित कर/शास्ति/सूद की राशि निम्नवत् है :–

(क) स्वीकृत कर की राशि :
(ख) स्वीकृत कर भुगतान की राशि :
(ग) मांगपत्र संख्या एवं तिथि :
(घ) मांगपत्र के अनुसार मांग की राशि :
(ड.) प्रपत्र IX अथवा IX C समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित कर की राशि :
(च) मांग पत्र प्राप्ति की तिथि :
(छ) मांगी गई कर की राशि :
(ज) मांगी गई सूद की राशि :
(झ) मांगी गई शास्ति की राशि :

(2) *मैं/हमलोग द्वारा निर्धारित राशि रू०.....(अंकों में) या ऐसी राशि जिसपर सहमति हो, का भुगतान कर वाद को निपटाना चाहता हूँ/चाहते हैं। मैं/हमलोग निदेशित समय के अन्दर निर्धारित राशि उचित सरकारी कोषागार में भुगतान करने का वादा करता हूँ/करते हैं।

घोषणा

मैं.....(नाम साफ अक्षरों में) घोषणा करता हूँ की इस आवेदन में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सही एवं पूर्ण हैं।

तिथि..... आवेदक का हस्ताक्षर
*जो लागू नहीं हो उसे काट दें। हैसियत

प्रपत्र सेट- II

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 के अधीन पावती का प्रपत्र

[देखें धारा 4(2)]

.....का कार्यालय

प्राप्ति संख्या
तिथि

प्रपत्र सेट I में आवेदन.....
.....से प्राप्त किया।

स्थान : प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पदनाम

मुहर :

प्रपत्र सेट- III

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 के अधीन अस्वीकृत आदेश का प्रपत्र

[देखें धारा 5(2)]

.....का कार्यालय

व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में प्रपत्र सेट I में आवेदन प्राप्त किया गया है :
उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता :
निबंधन संख्या :
विवाद का केस/सी०डब्लू० जे०सी०/एस०एल०पी०/रेफेरेन्स संख्या :
विवादित मांग की प्रकृति :
विवाद से संबंधित अवधि :

आदेश

आपके द्वारा प्रपत्र सेट– I में दाखिल किया गया उक्त आवेदन जिसकी इस कार्यालय की पावती संख्या .....
.....तिथि.....है, अधिनियम की धारा 5(1) के अनुरूप नहीं है और आगे आप उक्त धारा 5(1) के परन्तुक की आवश्यकताओं के अनुसार इसे पुनरीक्षित कराने में विफल रहें है। इस प्रकार प्रपत्र सेट 1 में दाखिल उक्त आवेदन बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 की धारा 5 (2) के परन्तुक के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

स्थान : हस्ताक्षर

तिथि : पदनाम

मुहर :

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि अंचल प्रभारी.....
...../व्यवसायी.....को अग्रसारित।

स्थान : हस्ताक्षर

तिथि : पदनाम

मुहर :

प्रपत्र सेट- IV

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 की धारा 5(5) के अधीन आदेश

[देखें धारा 5(5)]

व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में समाधान के लिए आवेदन प्राप्त किया गया है	:
प्रपत्र I की पावती संख्या एवं तिथि	:
उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता	:
निबंधन संख्या	:
विवाद का केस/सी०डब्लू० जे०सी०/एस०एल०पी०/ रेफेरेन्स संख्या	
विवादित राशि की प्रकृति	:
विवाद की अवधि	:

आदेश

प्रपत्र सेट– I में दाखिल आवेदन की कंडिका 2 में आपके द्वारा प्रतिवेदित समाधान की राशि रू०.....है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रगणित समाधान की देय राशि रू०.....आती है (अधोहस्ताक्षरी का प्रगणन संलग्न)

स्थान : हस्ताक्षर

तिथि : पदनाम

मुहर :

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि व्यवसायी.....
.....को अग्रसारित।

स्थान : हस्ताक्षर

तिथि : पदनाम

मुहर :

प्रपत्र सेट- V

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 के अधीन समाधान आदेश

[देखें धारा 5(7)]

व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में यह आवेदन प्राप्त किया गया है	:
उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता	:
निबंधन संख्या	:
विवाद का केस/सी०डब्लू० जे०सी०/एस०एल०पी०/ रेफेरेन्स संख्या	:
विवादित मांग की प्रकृति	:
विवाद की अवधि	:
धारा 3(1) के साथ संलग्न तालिका में विनिर्दिष्ट आवेदक के विरूद्ध विवादित मांग की राशि	:
विवाद के विरूद्ध किया गया भुगतान	:

आदेश

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 की धारा 5 की उप–धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार एतद् द्वारा विवाद जिसके ब्योरे उपर दिये गये हैं, का समाधान किया जाता है।

स्थान : हस्ताक्षर

तिथि : पदनाम

मुहर :

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि अंचल प्रभारी.....अंचल/व्यवसायी.....

.....को अग्रसारित।

स्थान : हस्ताक्षर

तिथि : पदनाम

मुहर :

वित्तीय संलेख

बिहार वित्त अधिनियम, भाग– I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।], बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948), और बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के कार्यवाहियों से उत्पन्न कर, शास्ति एवं सूद की सृजित माँग के समाधान हेतु बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक को अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।

इसी उद्देश्य से बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2015 को अधिनियमित कराना आवश्यक है।

बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2015 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)

भार–साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है। उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व वृद्धि के लिए उपाय चिन्हित किये गये हैं। राजस्व संग्रहण में अभिवृद्धि हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2015 को अधिनियमित करने की आवश्यकता है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार–साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 04 अगस्त, 2015

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 936-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in